




कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए० / एस०एस०--1 / श०स्था०नि० /

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, कसबा
जिला-- पूर्णिया



महाशय,

नगर पंचायत, कसबा के वर्ष अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं० 1127 / 17-18 तथा उनके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कठिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कठिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथा छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

- ६० -

वरिय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

16-07-18

दिनांक--

सं०-एल०ए० / एस एस--1 / श०स्था०नि० / 14747/105

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पूर्णिया

वनवीर हसन 16/7/18

वरिय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

A-
29.08.18

50.7
21.8

श्री.जी.प.
21/8/18

6 दि.
454
27/10/18

9146

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.- 1127/17-18

सामाजिक प्रक्षेत्र-I

भाग-I

प्रस्तावना

1.	कार्यालय का नाम	नगर पंचायत, कसबा
2.	अध्यक्ष	श्रीमती सुषमा देवी 01.04.16 से 31.03.17 तक
3.	नगर आयुक्त का नाम एवं पता:	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता 01.04.16 से 07.03.14
		श्री परमानंद सिंह 07.03.14 से 25.09.14
		श्रीमती ममता कुमारी 25.09.14 से 08.12.14
		श्री अनिल कुमार दास 08.12.14 से 30.08.15
		श्री अमर कुमार वर्मा 30.08.15 से 07.09.15
		श्री अरुण कुमार गुप्ता 07.09.15 से 18.07.16
		श्रीमती इन्दू मति 18.07.16 से 07.11.16
		श्री लोक प्रकाश 08.11.16 से 23.03.17
		श्री स्नेह पयोधर 23.03.17 से 04.12.17
4.	लेखा परीक्षा की अवधि :	अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक (08 कार्य दिवस)
5.	लेखापरीक्षा की तिथि:	24.11.2017 से 30.11.2017 तक (08 कार्य दिवस)
6.	विस्तृत जाँच का माह	अगस्त 2012, दिसम्बर 2013, फरवरी 2015, मार्च 2016 एवं मार्च 2017
7.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री एस.के.वर्मा, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री आलोक कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 3. श्री अजय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 4. श्री विजेश्वर कुमार, लेखा परीक्षक
08	लेखापरीक्षा का विस्तार	नगर पंचायत कसबा के अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक के लेखाओं का नमूना जाँच किया गया। विस्तृत जाँच का माह अगस्त 2012, दिसम्बर 2013, फरवरी 2015, मार्च 2016 एवं मार्च 2017 में कोषागार/बैंक से निकासी की गई राशि तथा माह अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक के दौरान बैंक/कोषागार में जमा की गई राशि का मिलान विभिन्न बैंक/कोषागार के भुगतान एवं प्राप्ति अनुसूची से की गयी।
09	क्या लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार- विमर्श किया गया	हाँ, नगर पंचायत कसबा से लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार- विमर्श किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई नगर पंचायत, कसबा द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग- II

खण्ड- क- शून्य

भाग- II

खण्ड- ख

कड़िका 1 फर्नीचर की खरीद में अनियमितता (रु. 12.78 लाख)

1. नगर पंचायत कसबा कार्यालय को सुसज्जित करने हेतु अध्यक्ष नगर पंचायत कसबा द्वारा 07.01.16 को अनुशंसा दिया गया था।
2. अध्यक्ष नगर पंचायत कसबा के अनुशंसा के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 08.01.16 को फर्नीचर आपूर्ति हेतु कार्यादेश फर्म फर्नीचर हाउस फोर्ड कम्पनी पूर्णियों को निर्गत किया गया था।
3. आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान की आपूर्ति की गयी एवं कार्यालय द्वारा राशि का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है-

क्रम सं०	सामान की विवरणी	दर प्रति पीस	वैट की दर	मात्रा	कुल
1	Encarta Conference	4928/-	13.5	25	123200
2	Sedna High Back	35930/-	13.5	02	71860
3	Sedna High Back WTH	39596/-	13.5	01	39596
4	Earl High Back	8032/-	13.5	22	176704
5	Storewel Guardian	20693/-	13.5	06	124158
6	File Rack	5700/-	13.5	05	28500
7	Maestro Eru+Ped	49072/-	13.5	01	49072
8	Kareena High Back	13691/-	13.5	01	13691
9	Curve Coffee Table	13840/-	13.5	01	13840
10	Stylo Wooden Table	9358/-	13.5	01	9358
11	Nano Perch 3st 2arm	21948/-	13.5	04	87792
12	Midas 3 Seater	35876/-	13.5	02	71752
13	Simple 2 Seater	62919/-	13.5	04	251676
14	Earl Mid Back	7118/-	13.5	09	64062
					1125261
				वैट	151910.24
				कुल	1277171.24

भुगतान विवरणी

क्रम सं०	चेक सं०/दिनांक	राशि	मद
1	A637123/23.02.16	500000	
2	A637147/18.06.16	562342	
	कुल	1062342	

अंकेक्षण टिप्पणी—

1. बिहार वित्त नियमावली की धारा 126 में "लोकल कय के मूल सिद्धांत" की बात कही गयी है। 126(i) के अनुसार "the specifications in terms of quality, type as also quantity of goods to be procured should be clearly spelt out keeping in view the specific needs of the procuring organizations." परन्तु संचिका के संलग्न कागजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त में **quanlity** की बात कहीं भी नहीं लिखी पायी गयी। कितनी संख्या की आवश्यकता थी इसका आधार संचिका में उल्लेखित नहीं पाया गया।
2. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131(I) के तहत 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी में **Limited tender enquiry** प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि ऐसी किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि नियमावली का पालन नहीं किया गया जिसके कारण खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।
3. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131(O) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर **Perfomance Security** के रूप में गारंटी अवधि तक कुल मूल्य का 05-10 प्रतिशत की राशि **Security deposit** के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि जब्त की जा सके, परन्तु उपर्युक्त सामानों के अंतिम भुगतान के समय इस तरह की कोई राशि न तो काटी गयी और न ही कार्यपालक पदाधिकारी स्तर से इस बिन्दु पर कोई टिप्पणी संचिका में दृष्टिगोचर हुई। **फलस्वरूप राशि ₹ 53117/- का अधिक भुगतान हुआ** और कार्यालय द्वारा **Perfomance Security** के रूप में राशि की कटौती आपूर्तिकर्ता से नहीं करना आपूर्तिकर्ता को **undue favour** की ओर इशारा करती है। विवरणी इस प्रकार है—

क्रम सं०	समान	कुल मूल्य	परफारमेंस स्कुरिटी की राशि	कटौती की गयी राशि	अन्तर	दुकान का नाम
1.	Furniture	1062342	53117/-	शून्य	53117/-	फर्नीचर हाउस फोर्ड कम्पनी पूर्णिया
	कुल	37788165.00			53117/-	

4. सर्विस उपलब्ध कराने की शर्त तथा कितने साल की गारंटी/वारंटी दिया जा रहा था से संबंधित साक्ष्य संचिका में संलग्न नहीं पाया गया था।
5. स्टॉक पंजी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।
6. फर्नीचर खरीद का प्रस्ताव नगर पंचायत की बैठक में पारित था या नहीं स्पष्ट नहीं किया गया।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

नगर पंचायत द्वारा किये गये कार्रवाही के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय महालेखाकार बिहार को अवगत कराया जाये।

कंडिका- 2 योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित क्रियान्वयन रू.

10.49 लाख

योजना सं०	04/2015-16,
मद	स्टेट प्लान।
योजना का नाम	नगर पंचायत कसबा, वार्ड नं०-14 के अन्तर्गत नेमा टोल स्कूल से राम प्रसाद साह के घर तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि	रू० 3239300/-
तकनीकी स्वीकृति	अधीक्षण अभियंता बुडा, पूर्णियाँ दिनांक 16. 06. 2015।
प्रशासनिक अनुमोदन	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत कसबा, पूर्णियाँ।
संवेदक का नाम	श्री. सुरज ट्रेडर्स
कार्य की स्थिति	पूर्ण
एकरारनामा की राशि	रू० 2776544/- (10 % below)
भुगतान	रू० 2667262/-
मपी	रू० 2667262/-

1. Additional Performanace Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता (रू० 1.21 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र०6/1/वी०-2/2003-3376 (एस०) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं० (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की माँग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 0 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 1-25% तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 2.50% तथा 10% & 15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 5% अर्थात् 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की कटौती करनी थी। लेकिन नगर पंचायत कसबा द्वारा 10% below पर एकरारनामा की स्थिति में रू. 121474 (3239300 x 3.75%) की वसूली नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रू० 121474 का अदेय सहायता दिया गया था।

2. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू० 9.28 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की क्रय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन

में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 927714/- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 927714/- का भुगतान अनियमित था।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालु	135.78 m ³	1456/m ³	197696/-
2	स्टोन चिप्स	271.57 m ³	1866/ m ³	506750/-
4	जी० एस० बी०	306.54 m ³	728.35/ m ³	223268/-
				927714/-

3. इस योजना में कुल-271.57 m³ गिट्टी मापी पुस्त के अनुसार क्रय किया गया था जिससे पी०सी०सी० (M25) कार्य 301.74 m³ (271.57/0.9) हो सकता था, जबकि मापी पुस्त पृष्ठ सं०-10 के अनुसार 315.78 m³ कार्य का भुगतान किया गया था। इस प्रकार 14.04 m³ (315.78-301.74) @ 6332.40 / m³ की दर से रू0 88907 का अदेय सहायता संवेदक को दिया गया।

4. नगर पंचायत कसबा, द्वारा गुणवत्ता जाँच दिनांक-08.07.2016 को किया गया था। जो कि मापी पुस्त के प्रथम चलंत बिल के अनुसार था। लेकिन दूसरी और अंतिम चलंत बिल जो कि 30.10.2016 को की गई थी से संबंधित गुणवत्ता जाँच की कोई रिपोर्ट संचिका में नहीं पाई गई। जो कि बी०पी०डब्लु०डी० के नियमानुसार नहीं था।

5. नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को रू0 1000000.00 का था, लेकिन उनके द्वारा रू0 32,39,300.00 के कार्य की स्वीकृति दी गई जो कि सरकार के आदेश के विपरित था एवं अनियमित था।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जाँचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

नगर पंचायत द्वारा किये गये कार्यवाही के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कंडिका 03— योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन

<u>योजना सं०</u>	03/2015-16,
<u>मद</u>	स्टेट प्लान।
योजना का नाम	नगर पंचायत कसबा, वार्ड नं०-12 के अन्तर्गत सत्यनारायण बाबु के पीछे से बाँध तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि	रु० 3421400/-
तकनीकी स्वीकृति	अधीक्षण अभियंता बुडा, पूर्णियाँ दिनांक 16. 06. 2015।
प्रशासनिक अनुमोदन	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत कसबा, पूर्णियाँ।
संवेदक का नाम	श्री नजीर अहमद
कार्य की स्थिति	पूर्ण
एकरारनामा की राशि	रु० 2932630/- (10 % below)
भुगतान	रु० 2868440/-
मापी	रु० 2868440/-

1. Additional Performanace Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता (रु० 1.28 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र०6/1/वी०-2/2003- 3376 (एस०) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के स्पष्टीकरण के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं० (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की माँग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 0 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 1-25% तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 2.50% तथा 10%&15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 5% अर्थात् 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की कटौती करनी थी। लेकिन नगर पंचायत कसबा द्वारा 10% below पर एकरारनामा की स्थिति में रु. 128303 (3421400 x 3.75%) की वसूली नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रु० 128303 का अदेय सहायता दिया गया था।

2. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रु० 9.95 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की कय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को

असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 995458 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 995458 का भुगतान अनियमित था।

क्र०	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालु	172.63 m ³	1456/m ³	251349/-
2	स्टोन चिप्स	345.27 m ³	1866/ m ³	644274/-
4	जी० एस० बी०	137.07 m ³	728.35/ m ³	99835/-
				995458/-

- इस योजना में पी०सी०सी० (M25) कार्य 308.05 m³ किया गया था जिसमें केवल 277.24 m³ (308.05/0.9) गिट्टी की मात्रा चाहिए थी। लेकिन मापी पुस्त के प्रथम एवं द्वितीय चलंत बिल के अनुसार (क्रमश 121.76+223.51) 345.27 m³ गिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। अतः 68.03 m³ (345.27-277.24) से 75.60 m³ (68.03/0.9) का @ रू0 6332.40 / m³ की दर से रू0 478659 का अदेय सहायता संवेदक को प्रदान किया गया।
- नगर पंचायत कसबा, द्वारा गुणवत्ता जाँच दिनांक-20.06.2016 को किया गया था। जो कि मापी पुस्त के प्रथम चलंत बिल के अनुसार था। लेकिन दूसरी और अंतिम चलंत बिल जो कि 08.08.2016 को की गई थी से संबंधित गुणवत्ता जाँच की कोई रिपोर्ट संचिका में नहीं पाई गई। जो कि बी०पी०डब्लु०डी० के कार्य नियमानुसार नहीं था।
- नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को रू0 1000000.00 का था, लेकिन उनके द्वारा रू0 34,21,400.00 के कार्य की स्वीकृति दी गई जो कि सरकार के आदेश के विपरित था एवं अनियमित था।
- योजना सं० 3/15-16 के मापी पुस्त के अनुसार 12% राशि रू0 344213 नगर पंचायत कसबा, द्वारा रोकी गई थी। लेकिन इसके कारण का उल्लेख ऑडर सीट में नहीं था।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जाँचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

नगर पंचायत द्वारा किये गये कार्रवाही के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कंडिका 04- योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन रू.

27.59 लाख

योजना सं०	01/2015-16,
मद	स्टेट प्लान।
योजना का नाम	नगर पंचायत कसबा, वार्ड नं०-05 के अन्तर्गत महादलित टोला के निकट से फुलेश्वर साह के घर से मोदो साह, महिला कॉलेज तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि	रू० 4749500/-
तकनीकी स्वीकृति	अधीक्षण अभियंता बूडा, पूर्णियाँ दिनांक 16. 06. 2015।
प्रशासनिक अनुमोदन	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत कसबा, पूर्णियाँ।
संवेदक का नाम	श्री हरेन्द्र कुमार विश्वास
कार्य की स्थिति	पूर्ण
एकरारनामा की राशि	रू० 4070982/- (10 % below)
भुगतान	रू० 4069087/-
मापी	रू० 4069087/-

1. Additional Performanace Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता (रू० 1.78 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र०६/१/वी०-२/२००३-३३७६ (एस०) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के स्पष्टीकरण के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं० (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की माँग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 0 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 1-25% तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 2.50% तथा 10%&15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 5% अर्थात् 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की कटौती करनी थी। लेकिन नगर पंचायत कसबा द्वारा 10% below पर एकरारनामा की स्थिति में रू. 178106 (4749500 X 3.75%) की वसूली नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रू० 178106 का अदेय सहायता दिया गया था।

2. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू० 15.29 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की क्रय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान

है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 1529202/- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 1529202/- का भुगतान अनियमित था।

क्र०	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालु	253.40 m ³	1456/m ³	368950/-
2	स्टोन चिप्स	506.78 m ³	1866/ m ³	945651/-
4	जी० एस० बी०	294.64 m ³	728.35/ m ³	214601/-
				1529202/-

3. इस योजना में कुल-506.78 m³ गिट्टी मापी पुस्त के अनुसार कय किया गया था जिससे पी०सी०सी० (M25) कार्य 563.08 m³ (506.78 / 0.9) हो सकता था, जबकि मापी पुस्त के अनुसार 392.86 m³ कार्य करवाया गया था। इस प्रकार अतिरिक्त गिट्टी से 170.22 m³ (563.08-392.86) कार्य हो सकता था लेकिन संवेदक द्वारा यह कार्य नहीं कराया गया। इस प्रकार 170.22 m³ @ 6332.40 / m³ की दर से रू0 1077985 का अनियमित भुगतान संवेदक को किया गया।
4. नगर पंचायत कसबा, द्वारा गुणवत्ता जाँच दिनांक-02.06.2016 को किया गया था। जो कि मापी दूसरा व अंतिम पुस्त के प्रथम चलंत बिल के अनुसार था। लेकिन चलंत बिल जो कि 30.06.2016 को की गई थी से संबंधित गुणवत्ता जाँच की कोई रिपोर्ट संचिका में नहीं पाई गई। जो कि बी०पी०डब्लु०डी० के कार्य नियमानुसार नहीं था।
5. नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को रू0 10,00,000.00 का था, लेकिन उनके द्वारा रू0 47,49,500.00 के कार्य की स्वीकृति दी गई जो कि सरकार के आदेश के विपरित था एवं अनियमित था।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जाँचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

नगर पंचायत द्वारा किये गये कार्यवाही के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कंडिका 05— योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित क्रियान्वयन रू.

2.09 लाख

योजना सं०	17/2014-15
मद	बी०आर०जी०एफ०।
योजना का नाम	नगर पंचायत कसबा, वार्ड नं०-04 के अन्तर्गत ज्योतिष के घर से पिन्टु चोरसिया के घर तक सड़क में पी०सी०सी० निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि	रू० 736200/-
अभिकर्ता	श्री बिनोद कुमार साह
मापी की राशि	रू० 736162
कटौती	वैट - रू० 39077 रोयल्टी- रू० 7694
शुद्ध भुगतेय राशि	लेवर सेस- रू० 7362 रू० 682029

अंकेक्षण टिप्पणी :-

1. मापी पुस्त के पृष्ठ सं० 2 पर अंकित कुल पी०सी०सी० कार्य 95.82 m³ था तथा भुगतान भी किया गया था। लेकिन अभिश्रय के अनुसार कुल गिट्टी कय 82.12 m³ किया गया था। जिससे पी०सी०सी० M25 91.24 m³ हो सकता था। अतः अधिक एवं अनियमित भुगतान रू० 31130 { (95.82-91.24)X6796.95 } का संवेदक लाभ 15 प्रतिशत की राशि कटौती के पश्चात रू० 26450 था।
2. वैट एवं रोयल्टी की कम कटौती :-

क्रसं०	समग्री	मात्रा	मूल्य	वैट	रोयल्टी
1	जी०एस०बी०	59.37 m ³	42000	5670	5937
2	गिट्टी	82.12 m ³	45820	6186	8212
3	बालू	41.20 m ³	11165	558	2060
4	सीमेन्ट	790 बैग	252800	34128	-
कुल :-				46542	16209

वैट मद में कम कटौती रू० 7465 (46542-39077) हुआ एवं रोयल्टी मद में रू० 8515 (16209-7694) हुआ।

अतः वैट एवं रोयल्टी मद में कम कटौती के कारण रू० 15980 (7465+ 8515) का अधिक भुगतान हुआ जिसकी वसूली कर संबंधित शीर्ष में जमा करें।

3. मापी पुस्त के पृष्ठ सं० 01 एवं 02 पर दर्ज जी०एस०बी० कार्य 59.37 m³ था तथा भुगतान भी इतने का ही था परंतु अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त कार्य में रोड रोलेर का प्रयोग नहीं किया गया जिसके बिना जी०एस०बी० कार्य संभव नहीं था। अतः कुल जी०एस०बी० कार्य की राशि रू० 196299 (59.37X3306.38) में संवेदक लाभ 15 प्रतिशत घटा कर राशि रू० 166855 का कार्य एवं भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

जवाब दिया गया कि जॉचोपरान्त कार्रवाई की जाये। किये गये कार्रवाई के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कंडिका 06- योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन रु.

1.69 लाख

योजना सं०	14/2015-16
मद	बी०आर०जी०एफ०।
योजना का नाम	नगर पंचायत कसबा, वार्ड नं०-06 के अन्तर्गत डॉ शरद कुमार के घर से रघुनाथ कम्पॉन्डर के घर तक सड़क में पी०सी०सी० निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि	रु० 740600/-
अभिकर्ता	श्री बिनोद कुमार साह
मापी की राशि	रु० 736093
कटौती	वैट - रु० 41946 रोयल्टी- रु० 7650 लेवर सेस- रु० 7360
शुद्ध भुगतेय राशि	रु० 679137

अंकेक्षण टिप्पणी :-

1. मापी पुस्त के पृष्ठ सं० 2 एवं 03 पर अंकित कुल पी०सी०सी० कार्य 104.35 m³ था तथा भुगतान भी किया गया था। लेकिन अभिश्रव के अनुसार कुल गिट्टी क्य 89.75 m³ किया गया था। जिससे पी०सी०सी० M25 99.72 m³ हो सकता था। अतः अधिक एवं अनियमित भुगतान रु० 31470 $\{(104.35-99.72) \times 6796.95\}$ का संवेदक लाभ 15 प्रतिशत की राशि कटौती के पश्चात रु० 26749 था।

2. वैट एवं रोयल्टी की कम कटौती :-

क्रस०	सामग्री	मात्रा	मूल्य	वैट	रोयल्टी
1	जी०एस०बी०	45.42 m ³	33600	4536	4542
2	गिट्टी	89.75 m ³	50070	6759	8975
3	बालू	44.87 m ³	12204	610	2244
4	सीमेन्ट	860 बैग	275200	37152	-
कुल :-				49057	15761

वैट मद में कम कटौती रु० 7111 (49057- 41946) हुआ एवं रोयल्टी मद में रु० 8111 (15761- 7650) हुआ।

अतः वैट एवं रोयल्टी मद में कम कटौती के कारण रु० 15222 (7111+ 8111) का अधिक भुगतान हुआ जिसकी वसूली कर संबंधित शीर्ष में जमा करें।

3. मापी पुस्त के पृष्ठ सं० 01 एवं 02 पर दर्ज जी०एस०बी० कार्य 45.42 m³ था तथा भुगतान भी इतने का ही था परंतु अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त कार्य में रोड रोलेर का प्रयोग नहीं किया गया जिसके बिना जी०एस०बी० कार्य संभव नहीं था। अतः कुल जी०एस०बी० कार्य की राशि रु० 150175 (45.42x 3306.38) में संवेदक लाभ 15 प्रतिशत घटा कर राशि रु० 127649 का कार्य एवं भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जांचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

नगर पंचायत द्वारा किये गये कार्यवाही के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कंडिका 07— योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित क्रियान्वयन रु.

2.12 लाख

योजना सं०	02/2015-16
मद	चतुर्थ राज्य वित्त योजना।
योजना का नाम	नगर पंचायत कसबा, वार्ड नं०-04 के अन्तर्गत मोमीन टोला से नहर की ओर पी०सी०सी० निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि	रु० 741800/-
अभिकर्ता	श्री बिनोद कुमार साह
मापी की राशि	रु० 739559
कटौती	वैट - रु० 36963 रोयल्टी:- रु० 8527 लेवर सेस- रु० 7396
शुद्ध भुगतेय राशि	रु० 730559

अंकेक्षण टिप्पणी :-

1. मापी पुस्त के पृष्ठ सं० 2 एवं 03 पर अंकित कुल पी०सी०सी० कार्य 96.77 m³ था तथा भुगतान भी किया गया था। लेकिन अभिश्रव के अनुसार कुल गिट्टी क्रय 82.83 m³ किया गया था। जिससे पी०सी०सी० M25 92.03 m³ हो सकता था। अतः अधिक एवं अनियमित भुगतान रु० 32218 {(96.77-92.03)X6796.95} का संवेदक लाभ 15 प्रतिशत की राशि कटौती के पश्चात रु० 27385 था।

2. वैट एवं रोयल्टी की कम कटौती :-

क्रसं०	सामग्री	मात्रा	मूल्य	वैट	रोयल्टी
1	जी०एस०बी०	79.90 m ³	46200	6237	6230
2	गिट्टी	83.20 m ³	46215	6239	8283
3	बालू	41.60 m ³	11242	562	2067
4	सीमेन्ट	798 बैग	235410	31780	-
कुल :-				44818	16580

वैट मद में कम कटौती रु० 7855 (44818- 36963) हुआ एवं रोयल्टी मद में रु० 8053 (16580- 8527) हुआ।

अतः वैट एवं रोयल्टी मद में कम कटौती के कारण रु० 15908 (8053+ 7855) का अधिक भुगतान हुआ जिसकी वसूली कर संबंधित शीर्ष में जमा करें।

3. मापी पुस्त के पृष्ठ सं० 01 पर दर्ज जी०एस०बी० कार्य 60.08 m³ था तथा भुगतान भी इतने का ही था परंतु अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त कार्य में रोड रोलेर का प्रयोग नहीं किया गया जिसके बिना जी०एस०बी० कार्य संभव नहीं था। अतः कुल जी०एस०बी०

कार्य की राशि रु 198647 में संवेदक लाभ 15 प्रतिशत घटा कर राशि रु 168850 का कार्य एवं भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जॉचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

नगर पंचायत द्वारा किये गये कार्रवाही के फलफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कंडिका 08— योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित क्रियान्वयन रु.

1.64 लाख

योजना सं०	16/2015-16
मद	चतुर्थ राज्य वित्त योजना।
योजना का नाम	नगर पंचायत कसबा, वार्ड नं०-05 के अन्तर्गत शंकर मोदी एवं अधिवक्ता सुभाष मोदी के घर से तुलसी साह के घर तक सड़क में पी०सी०सी० निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि	रु 744400/-
अभिकर्ता	श्री बिनोद कुमार साह
मापी की राशि	रु 739188
कटौती	वैट - रु 37539 रोयल्टी- रु 7713 लेवर सेस- रु 7391
शुद्ध भुगतेय राशि	रु 739188

अंकेक्षण टिप्पणी :-

1. मापी पुस्त के पृष्ठ सं० 02 एवं 03 पर अंकित कुल पी०सी०सी० कार्य 105 m³ था तथा भुगतान भी किया गया था। लेकिन अभिश्रव के अनुसार कुल गिट्टी क्य 90.32 m³ किया गया था। जिससे पी०सी०सी० M25 100.35 m³ हो सकता था। अतः अधिक एवं अनियमित भुगतान रु 31606 { (105-100.35) X 6796.95 } का संवेदक लाभ 15 प्रतिशत की राशि कटौती के पश्चात रु 26865 था।
2. वैट एवं रोयल्टी की कम कटौती :-

क्रसं०	सामग्री	मात्रा	मूल्य	वैट	रोयल्टी
1	जी०एस०बी०	46.10 m ³	34125	4607	4610
2	गिट्टी	90.32 m ³	12320	6804	9032
3	बालू	45.16 m ³	50402	616	2258
4	सीमेन्ट	865 बैग	242200	32697	—
कुल :-				44724	15900

वैट मद में कम कटौती रु 7185 (44724- 37539) हुआ एवं रोयल्टी मद में रु 8187 (15900- 7713) हुआ।

अतः वैट एवं रोयल्टी मद में कम कटौती के कारण रु 15372 (7185+ 8187) का अधिक भुगतान हुआ जिसकी वसूली कर संबंधित शीर्ष में जमा करें।

3. मापी पुस्त के पृष्ठ सं० 01 एवं 02 पर दर्ज जी०एस०बी० कार्य 46.10 m³ था तथा भुगतान भी इतने का ही था परंतु अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त कार्य में रोड रोलर का प्रयोग नहीं किया गया जिसके बिना जी०एस०बी० कार्य संभव नहीं था। अतः कुल जी०एस०बी० कार्य की राशि रु० 152424 (46.10x3306.38) में संवेदक लाभ 15 प्रतिशत घटा कर राशि रु० 129560 का कार्य एवं भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जॉचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

नगर पंचायत द्वारा किये गये कार्रवाही के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कंडिका 09— योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित क्रियान्वयन रु.

1.27 लाख

योजना सं०	21/2015-16
मद	चतुर्थ राज्य वित्त योजना।
योजना का नाम	नगर पंचायत कसबा, वार्ड नं०-05 के अन्तर्गत तुलसी मोदी से रमेश मोदी के घर तक सड़क में पी०सी०सी० निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि	रु० 507000/-
अभिकर्ता	श्री कमलेश्वरी यादव
मापी की राशि	रु० 506415
कटौती	वैट - रु० 27965 रोयल्टी- रु० 5310 लेवर सेस- रु० 5064
शुद्ध भुगतेय राशि	रु० 468076

अंकेक्षण टिप्पणी :-

1. मापी पुस्त के पृष्ठ सं० 02 पर अंकित कुल पी०सी०सी० कार्य 70.09 m³ था तथा भुगतान भी किया गया था। लेकिन अभिश्रव के अनुसार कुल गिट्टी कय 60.28 m³ किया गया था। जिससे पी०सी०सी० M25 66.97 m³ हो सकता था। अतः अधिक एवं अनियमित भुगतान रु० 21206 { (70.09-66.97)x6796.95 } का संवेदक लाभ 15 प्रतिशत की राशि कटौती के पश्चात रु० 18025 था।
2. वैट एवं रोयल्टी की कम कटौती :-

क्रसं०	सामग्री	मात्रा	मूल्य	वैट	रोयल्टी
1	जी०एस०बी०	35.04 m ³	25935	3501	3504
2	गिट्टी	60.28 m ³	33575	4533	6028
3	बालू	30.14 m ³	8200	410	1507
4	सीमेन्ट	578 बैग	182070	24579	-
कुल :-				33023	11039

वैट मद में कम कटौती रु० 5058 (33023- 27965) हुआ एवं रोयल्टी मद में रु० 5729 (11039- 5310) हुआ।

अतः वैट एवं रोयल्टी मद में कम कटौती के कारण रु0 10787 (5058+ 5729) का अधिक भुगतान हुआ जिसकी वसूली कर संबंधित शीर्ष में जमा करें।

3. मापी पुस्त के पृष्ठ सं0 01 एवं 02 पर दर्ज जी0एस0बी0 कार्य 35.04 m³ था तथा भुगतान भी इतने का ही था परंतु अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त कार्य में रोड रोलर का प्रयोग नहीं किया गया जिसके बिना जी0एस0बी0 कार्य संभव नहीं था। अतः कुल जी0एस0बी0 कार्य की राशि रु0 115855 (35.04x3306.38) में संवेदक लाभ 15 प्रतिशत घटा कर राशि रु0 98477 का कार्य एवं भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जॉचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

नगर पंचायत द्वारा किये गये कार्रवाही के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कंडिका 10— योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन रु.

0.49 लाख

योजना सं0	02/2014-15
मद	चतुर्थ राज्य वित्त योजना।
योजना का नाम	नगर पंचायत कसबा, वार्ड नं0-07 के अन्तर्गत जगदीश मांझी के घर से दिलिप पौद्धार के घर से रेलवे स्टेशन तक सड़क में पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि	रु0 830900/-
संवेदक	श्री भवेश कुमार चौधरी
कार्य की स्थिति	पूर्ण
एकरारनामा की राशि	रु0 747810/- (10 % below)
भुगतान	रु0 747212/-
मापी	रु0 747212/-

1. Additional Performanace Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता (रु0 0.31 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र06/1/वी0-2/2003- 3376 (एस0) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के स्पष्टीकरण के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की माँग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 0 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 1-25% तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 2.50% तथा 10%&15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 5% अर्थात् 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की कटौती करनी थी। लेकिन नगर पंचायत कसबा द्वारा

10% below पर एकरारनामा की स्थिति में रू. 31159 (830900 X 3.75%) की वसूली नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रू0 28043/- का अदेय सहायता दिया गया था।

2. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 2.39 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की कय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 239296 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 239296 का भुगतान अनियमित था।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालु	34.77 m ³	1456/m ³	50625/-
2	स्टोन चिप्स	69.54 m ³	1866/ m ³	129762/-
4	जी० एस० बी०	80.88 m ³	728.35/ m ³	58909/-
				239296/-

3. इस योजना में मापी पुस्त के पृष्ठ सं० 03 में दिये गये सामग्री विवरणी के अनुसार गिट्टी 69.45 m³ था जिससे पी०सी०सी० M20 कार्य 77.26 m³ संभव था। जबकि मापी पुस्त के पृष्ठ सं० 03 के अनुसार 80.86 m³ पी०सी०सी० कार्य का भुगतान किया गया। अतः अधिक कार्य 3.6 m³ (80.86-77.26) @ 6529.23/ m³ से रू0 23505 का 10 प्रतिशत एकरारित राशि घटा कर कुल रू0 21155 का अदेय सहायता संवेदक को पहुँचाया गया।

कड़िका 11- योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन रू.

9.28 लाख

योजना सं०

05/2015-16,

मद

13वीं वित्त योजना।

योजना का नाम

नगर पंचायत कसबा, कार्यालय परिसर में गोदाम का निर्माण।

प्राक्कलित राशि

रू0 2223700/-

तकनीकी स्वीकृति

कार्यपालक अभियंता डुडा, पूर्णियाँ दिनांक 30. 12. 2015।

प्रशासनिक अनुमोदन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत कसबा, पूर्णियाँ।

संवेदक का नाम	श्री राजीव कुमार।
कार्य की स्थिति	पूर्ण
एकरारनामा की राशि	रु0 2217200/-
भुगतान	रु0 2212780/-
मापी	रु0 2212780/-

1. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रु0 3.38 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की कय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रु0 337528 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रु0 337528 का भुगतान अनियमित था।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालु	127.01 m ³	1456/m ³	184927/-
2	स्टोन चिप्स	81.78 m ³	1866/ m ³	152601/-
	कुल			337528/-

- नगर पंचायत कसबा, द्वारा गुणवत्ता जाँच दिनांक- 05.06.2016 को किया गया था। जो कि मापी पुस्त के प्रथम चलंत बिल के अनुसार था। लेकिन चलंत बिल जो कि 30.09.2016 को की गई थी से संबंधित गुणवत्ता जाँच की कोई रिपोर्ट संचिका में नहीं पाई गई। जो कि बी0पी0डब्लु0डी0 के कार्य नियमानुसार नहीं था।
- नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को रु0 10.00.000.00 का था, लेकिन उनके द्वारा रु0 22,23,700.00 के कार्य की स्वीकृति दी गई जो कि सरकार के आदेश के विपरित था एवं अनियमित था।
- रोयल्टी की कम कटौती :-

क्रसं0	सामग्री	मात्रा	रोयल्टी
1	ईट	40437	1172
2	गिट्टी	81.78	8178
3	बालू	127.01 m ³	6350
4	मिट्टी	56.39 m ³	1181
कुल :-			16881x2=33762

रोयल्टी मद में रू0 5695 की कटौती हुई।

अतः रोयल्टी मद में कम कटौती के कारण रू0 28067 (33762- 5695) का अधिक भुगतान हुआ जिसकी वसूली कर संबंधित शीर्ष में जमा करें।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जॉचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

नगर पंचायत द्वारा किये गये कार्यवाही के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कड़िका- 12 सरकारी राजस्व की हानि-रू0 0.49 लाख

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 9/0 सै0 -01-बेतिया-77/2015-509(9)/रा0 दिनांक- 17.08.2015 के अनुसार निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की राशि क्रमशः 5%+ 5% कुल 10% की वसूली 1 वर्ष के लिए बन्दोबस्ती में करना था जो बिहार गजट पटना 29.07.2013 को प्रकाशित की जा चुकी है एवं बिहार गजट 20Feb 2013 को निर्गत भी की जा चुकी है।

लेकिन इस दिशा -निर्देश के विपरीत पूर्णियाँ नगर पंचायत कसबा, द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए की गई सैरातों की बन्दोबस्ती का अनुबंध बन्दोबस्ती की राशि के 3% राशि पर भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर किया गया था जिसमें किसी सैरात के अनुबंध का जिक्र नहीं था। इस कारण राज्य सरकार को 49060 रू0 राजस्व की क्षति हुई, जिसकी विवरणी निम्न है:-

क्र सं0	बन्दोबस्ती का नाम	वर्ष	उच्चतम डाक वक्ता	बन्दोबस्ती की राशि	निबंधन शुल्क 5%	स्टाम्प शुल्क 5%	कुल राशि (5%+5%)	स्टाम्प शुल्क की वसूली	अन्तर की राशि
1	टैम्पु स्टेण्ड	2016-17	श्री राज कु0 राजा	2,69,000	13,450	13,450	26,900	8,100	18,800
2	टैम्पु स्टेण्ड	2015-16	श्री अनुरंजन साह	2,16,000	10,800	10,800	21,600	6,300	15,300
3	गुदरी बाजार हाट	2015-16	श्री तपेश्वर कु0 मंडल	89,500	4,475	4,475	8,950	2,600	6,350
4	गुदरी बाजार हाट	2016-17	श्री विक्रम कु0 साह	1,13,100	5,655	5,655	11,310	3,400	7,910
5	हड्डी महल	2016-17	श्री विक्रम कु0 साह	10,510	525	525	1,050	350	700
कुल राजस्व की हानि-									49,060

राज्य सरकार के दिशा निर्देश के नहीं पालन करने के कारण नगर पंचायत कसबा द्वारा राजस्व क्षति रू0 49060 हुई।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जॉचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

कंडिका- 13 योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन रू.

1.06 लाख

योजना सं०

13/ 2015-16,

योजना का नाम	वार्ड सं० 01 में फुलवड़िया से तीरेन मंडल के घर की ओर सड़क में पी.सी.सी. कार्य।
मद	बी.आर.जी.एफ
प्राक्कलित राशि	रू० 750000 /-
तकनीकी स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता डुडा दिनांक 11.04.2015
प्रशासनिक अनुमोदन	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत कसबा।
अभिकर्ता का नाम	श्री विनोद कुमार क०अ०
कार्य आरंभ करने की तिथि	16.11.15.
कार्य पूर्ण करना था	15.12.15
कार्य की स्थिति	पूर्ण
एकरारनामा की तिथि	16.11.15
मापीपुस्त की अंतिम राशि	727034
मापीपुस्त की अंतिम तिथि	04.12.15
कार्यादेश की तिथि	16.11.15
योजना में भुगतान	रू० 727034 /-

चेक सं०	तिथि	राशि
500862	20.11.15	7500
500863	10.12.15	660815
	कुल	668315
	देट	44195
	रायल्टी	7254
	लेबर सेस	7270
	महायोग	727034

अभिश्चव 667862

क्रमांक	फर्म का नाम	अभिश्चव	थदनांक	सामग्री	मात्रा	कीमत
1	ओउम ट्रेडर्स	1600	अंकित नहीं।	सिमेन्ट	926 बैग	305580
2	अमर ट्रेडर्स	196	अंकित नहीं।	लाल बालु	1700	70990
3	अमर ट्रेडर्स	195	अंकित नहीं।	गिट्टी	3400	211820
4	अमर ट्रेडर्स	189	अंकित नहीं।	जी०एस०बी०	810 घनफीट	64800
3	हस्तलिखित कागज	---	---	सूचना पट्ट	---	3000
4	हस्तलिखित कागज	---	---	शटरिंग	---	11738
6	हस्तलिखित कागज	---	---	रस्सी	600 ग्राम	34
						667862

मजदूर नामावली - 45972

कुल = मस्टर रॉल + अभिश्रव = 713834

1. बिहार सरकार की विभागीय अधिसूचना संख्या 873 दिनांक 6 मई 1977 एवं 1956 दिनांक 10 जून 1980 के अनुसार आपात कालीन परिस्थितियों यथा - बाढ़, भूकम्प इत्यादि को छोड़कर हस्त रसीद पर भुगतान नहीं किया जाना था। विभागीय कार्यों में श्रमिकों का भुगतान मस्टर रॉल पर तथा सामग्रियों के कय हेतु कैश मेमो बिल पर भुगतान किए जाने का प्रावधान है। अभिश्रवों के जांच कम में पाया गया कि इस योजना में कुल रु 14738/- का भुगतान हस्त रसीद पर किया गया।
2. वैट तथा रायल्टी कुल राशि 13086(6010+7076) की कटौती नहीं की गयी थी। विवरण निम्नवत् है।

क्रमांक	फर्म का नाम	अभिश्रव संख्या	दिनांक	सामग्री	मात्रा	कीमत	वैट दर प्रतिशत	रायल्टी दर प्रति घनमी०	वैट	रायल्टी	
1	ओउम ट्रेडर्स	1600	अंकित नहीं।	सिमेंट	926 बैग	296320	13.5	---	40003	0	
2	अमर ट्रेडर्स	196	अंकित नहीं।	लाल बालु	1700 घनफीट	13090	5	50	654	2407	
3	अमर ट्रेडर्स	195	अंकित नहीं।	गिट्टी	3400 घनफीट	53720	13.5	100	7252	9629	
4	अमर ट्रेडर्स	189	अंकित नहीं।	जी०एस०बी०	810 घनफीट	17010	13.5	100	2296	2294	
								कुल	50205	14330	
									काटी गयी वैट एवं रायल्टी	44195	7254
									नहीं काटी गयी वैट एवं रायल्टी	6010	7076

3. इस योजना में दिए गए विश्लेषण में कुल 96.70 m³ गिट्टी उपयोग किया गया था (मापी पुस्त पे० न० 03 तथा संलग्न अभिश्रव)। जिससे पी०सी०सी०, M25/M20 कार्य केवल 107.44 (96.70 m³/c.9) m³ संभव है जबकि पी०सी०सी०, M25/M20 कार्य 112.45 m³ (पृष्ठ सं० 1 एवं 2 में दर्ज PCCM25 112.45 m³) किया गया था तथा भुगतान भी किया गया था।

अतः उक्त मद में अन्तर 5.01 m³ (112.45 m³ - 107.44 m³) पाया गया जिसकी राशि 5.01 m³ @ 6796.95/ m³ = 34052 रु० होता है जिसमें 15% संवेदक लाभ की कटौती किये जाने के पश्चात अधिक भुगतान = 85% of 34052 = 28944 रु० हुआ।

अतः 107.44 घनमी० पी०सी०सी० एम25 कार्य में 107.44 × 0.225 = 24.174 घनमी० = 853.58 घनफीट = 853.58 / 1.25 = 682 बोरा सिमेंट संभव है जबकि 926 बोरा सिमेंट का खपत मापी पुस्त में दर्शाया गया है। अतः 244 (926 - 682) बोरा राशि 320/- प्रति बोरा की दर से कुल 78080 (320 × 244) का अधिक भुगतान अभिश्रव में दर्शाया गया था।

आपत्ति के आलाक में जवाब दिया गया कि ऑचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

नगर पंचायत द्वारा किये गये कार्रवाई के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।